ए एफ आर

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
रिट याचिका (एस) नं. - 2337/2013

कैलाश कुमार सिन्हा, पिता मनबोध राम, उम्र लगभग 36 वर्ष,
निवासी ग्राम- खरतुली, पोस्ट पटियाडीह, सिवल एवं राजस्व
जिला धमतरी (छ.ग.)

---- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग,
   महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर(छ.ग.)
3. सहायक पुलिस महानिरीक्षक(दूरसंचार), पुलिस मुख्यालय,
   दूरसंचार, छत्तीसगढ़, भिलाई(छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के लिये	:	श्री ए.के.प्रसाद, आधिवक्ता।
उत्तरवादीगण के लिये	:	श्री सुनील ओटवानी, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संजय पाठक, पैनल अधिवक्ता के साथ

माननीय न्यायमूर्ती श्री संजय के.अग्रवाल
बोर्ड पर आदेश

27.9.2021

1. यचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र.2 के आदेश दिनांक 27.5.2011 (अनुलग्नक पी-12) जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को आरक्षक (दूरसंचार) के पद हेतु अयोग्य होना माना गया है, की वैधानिकता, वैधता और शुद्धता को एतद् द्वारा प्रश्नगत किया गया है।

2. याचिकाकर्ता ने आरक्षक (दूरसंचार) के पद हेतु आवेदन दिया था , जिसकी अंतिम चयन सूचि 12.07.2010 को जारी की गयी थी और वह चुना भी गया , किन्तु 12.08.2010 को जमा किये गये अनुप्रमाण फार्म में उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी के न्यायालय में लम्बित आपराधिक प्रकरण क्र.3/2011 अपराध अंतर्गत धारा 294 और 506 भा.द.सं. लम्बित होने का खुलासा किया , जिस कारण, उसे नियुक्ती नहीं दी गयी , किन्तु बाद में, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

धमतरी के न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क्र .3/2011 में उसे 14.03.2011 (अनुलग्नक पी-7) को दोषमुक्त कर दिया गया था। याचिककर्ता ने दोषमुक्ती के आधार पर 17.3.2011 को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिये आवेदन /अभ्यावेदन पेश किया, जिस पर नियुक्ति प्रधिकारी द्वारा विचार किया गया और आलोच्य आदेश दिनांक 27.5.2011 (अनुलग्नक पी-12) द्वारा, यह निर्धारित किया गया कि यद्यपि याचिकाकर्ता को आपराधिक प्रकरण से दोषमुक्त किया गया है , पर उसके पिछले जीवन और चरित्र को ध्यान में रखते हुए , वह शासकीय सेवा के लिये अनुपयुक्त/अयोग्य है और तदानुसार, उसकी उम्मदवारी निरस्त की गयी, जिसे इस रिट याचिका द्वारा चुनौती दी गयी है।

3. उत्तरवादीगण/राज्य द्वारा रिट याचिका का विरोद्ध करते हुए जवाब पेश किया गया है जिसमें अन्य बातों के अलावा कथन किया गया है कि याचिकाकर्ता ने प्राधिकरण के समक्ष पेश अपने आवेदन में उपरोक्त आपराधिक प्रकरण के लम्बित होने के बारे में खुलासा नहीं किया था। अन्यथा भी , याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरक्षक(दूरसंचार) के पद पर नियक्ति नहीं देने का निर्णय विधी के अनुरूप है क्योंकि याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास को देखते हुए वह अयोग्य पाया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए .के.प्रसाद, ने तर्क दिया है कि यद्यपि आवेदन पेश करने की तिथी को याचिकाकर्ता का आपराधिक प्रकरण सक्षम दाणिक न्यायालय के समक्ष लम्बित था, लेकिन बाद में, उसे 14.3.2011 को दोषमुक्त कर दिया गया है, जिस कारण, वह उक्त पद पर नियुक्ति पाने का हकदार है और ऐसे में, आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

5. इसके विपरीत, उत्तरवादीगण/राज्य के विद्वान अतिरिक्त महा अधिवक्ता श्री सुनिल ओटवानी, विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री संजय पाठक के साथ, तर्क दिया है कि, आपराधिक प्रकरण से उत्तरवर्ती दोषमुक्ति याचिकाकर्ता को नियुक्ति का हकदार नहीं बनाती है जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी ने सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचारोपरांत निर्धारित किया है कि मात्र उसे दोषमुक्त किये जाने के कारण , वह आरक्षक(दूरसंचार) के पद हेतु उपयुक्त नहीं होगा।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क सुना , उनके उपरोक्त विरोधी कथनों पर विचार किया और अत्यंत सावधानी से अभिलेख का अवलोकन किया।

7. यह सत्य है कि आरक्षक (दूरसंचार) के पद हेतु आवेदन करते समय याचिकाकर्ता ने क्षेत्राधिकारिता के दाण्डिक न्यायालय के समक्ष भा .दं.सं. की धारा

294 और 506 सहपठित धारा 34 के अपराध में लम्बित आपराधिक प्रकरण का खुलासा नहीं किया था और वह चयनित किया गया , किन्तु सत्यापन फार्म जमा करते समय उसने अपने आपराधिक प्रकरण लम्बित होने का खुलासा किया , जिस कारण, उसे नियुक्ती नहीं दी गयी , लेकिन बाद में, 14.3.2011 को आपराधिक प्रकरण से दोषमुक्त किये जाने पर, उसने आरक्षक(दूरसंचार) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया था, जो आदेश दिनांक 27.5.2011(अनुलग्नक पी-12) द्वारा उसे उक्त पद हेतु अनुपयुक्त होना पाते हुए जैसा कि उसे केवल संदेह का लाभ देते हुए आपराधिक प्रकरण से दोषमुक्त किया गया था, निरस्त कर दिया गया।

8. यह प्रश्न कि क्या कोई व्यक्ति जो चयन की तिथि पर आपराधिक मामले से पीड़ित था और इसके बाद उसे दोषमुक्त कर दिया गया है , नियुक्ति का हकदार है अथवा नहीं, अब विवादित नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत रूप से निर्णयों की श्रृंखला में तय किया गया है। उनमें से कुछ का हितबद्ध रूप से उल्लेख किया जा सकता है।

9. **अवतार सिंह विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य**[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 38.5 में माना है कि ऐसे मामलों में भी जहां किसी निष्कर्षित मामले के बारे में सत्य प्रकटीकरण किया गया था, नियोक्ता को अभी भी उम्मीदवार के पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार होगा और उसे ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अवतार सिंह (सुप्रा) के मामले में उपरोक्त पैरा 38.5 का अनुसरण **मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य विरुद्ध अभिजीत सिंह पवार**[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा अनुमोदन के साथ किया गया और इसे निम्नानुसार माना गया:-

> "13. अवतार सिंह (सुप्रा) में, हालांकि यह न्यायालय सूचना के गैर-प्रकटीकरण या गलत प्रकटीकरण के प्रश्न पर सैद्धांतिक रूप से संब्दध था, पैरा 38.5 में यह देखा गया था कि ऐसे मामलों में भी जहां किसी निरामृत मामले के बारे में सत्य प्रकट किया गया था, नियोक्ता को अभी भी उम्मीदवार के पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार होगा और उसे ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

14. वर्तमान मामले में, जिस तारीख को उत्तरवादी ने आवेदन दिया

1 (2016) 8 SCC 471
2 (2018) 18 SCC 733

था, उस समय उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था। इस तरह के लंबित होने का खुलासा करने वाला हलफनामा दायर किए जाने के बाद ही समझौता किया गया था। अपराधों के शमन के मुद्दे पर और धारा 320(8) द.प्र.सं. के तहत बरी होने के प्रभाव पर, मेहर सिंह[3] में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून, विशेष रूप से पैरा 34 और 35 इस मुद्दे को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। उम्मीदवार द्वारा खुलासा किए जाने के बाद भी , नियोक्ता को उम्मीदवार के पूर्ववृत्त और उपयुक्तता पर विचार करने का पूरा अधिकार है। ऐसा करते समय, नियोक्ता निश्चित रूप से उसके जॉब प्रोफ़ाइल को ध्यान में रख सकता है जिसके लिए चयन किया गया है , उम्मीदवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता और क्या प्रश्नगत दोषमुक्ति ससम्मान दोषमुक्ति है या केवल संदेह के लाभ के आधार पर या समझौता का परिणाम थी।"

11. अवतार सिंह (सुप्रा) में निर्धारित विधि के सिद्धांत को हाल ही में **राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं अन्य वि. अनिल कांवरिया**[4] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ अनुसरण किया गया है, जिसमें यह माना गया है:-

"12. विवाद्यक/प्रश्न पर नियोक्ता के दृष्टिकोण से अलग नजरिये से विचार किया जा सकता है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या कोई कर्मचारी तुच्छ प्रकृति के विवाद में शामिल था और क्या उसे बाद में दोषमुक्त कर दिया गया है या नहीं। प्रश्न ऐसे कर्मचारी की विश्वसनीयता और/या भरोसे का है, जिसने रोजगार के प्रारंभिक चरण में, अर्थात् घोषणा/सत्यापन प्रस्तुत करते समय और/या पद के लिए आवेदन करते समय, किसी आपराधिक मामले में शामिल होने की झूठी घोषणा की और/या तथ्य का खुलासा नहीं किया और/या उसे छिपाया। यदि सही तथ्य प्रकट किए गए होते, तो नियोक्ता उसे नियुक्त नहीं करता। तब प्रश्न भरोसे का है। इसलिए, ऐसी स्थिति में, जहां नियोक्ता को लगता है कि किसी कर्मचारी ने प्रारंभिक चरण में ही झूठा बयान दिया है और /या महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया है और/ या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है और इसलिए उसे सेवा में निरंतर नहीं रखा जा सकता है , क्योंकि ऐसे कर्मचारी पर भविष्य में भी भरोसा नहीं किया जा सकता है ,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3 Commr. of Police v. Mehar Singh, (2013) 7 SCC 685
4 2021 SCC OnLine (SC) 739

नियोक्ता को ऐसे कर्मचारी को निरंतर रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ऐसे कर्मचारी को सेवा में बनाये रखने या नहीं बनाये रखने का विकल्प हमेशा नियोक्ता को दिया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि पुनरावृत्ति की कीमत पर और जैसा कि निर्णयों की श्रृंखला में ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसा कर्मचारी अधिकार के रूप में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है और/या सेवा में बने रहना जारी नहीं रख सकता है।"

12. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों (सुप्रा) में निर्धारित विधि के सिद्धांत के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने अपने सत्यापन प्रपत्र में उसके द्वारा आपराधिक मामले के लंबित होने और आपराधिक आरोप से बरी होने का खुलासा किया है, फिर भी उत्तरवादी/नियोक्ता को अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार और प्राधिकार था और नियोक्ता को याचिकाकर्ता को उक्त पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता अधिकार के रूप में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है, विशेष रूप से इस मामले में यह साफ और सम्मानजनक दोषमुक्ति नहीं है, बल्की याचिकाकर्ता को संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त किया गया है और इस तरह, उत्तरवादी-प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता को उसके पूर्ववृत्त के कारण अनुपयुक्त मानते हुए और अभिलेख में उसे पुलिस सेवा में कांस्टेबल की नौकरी के लिए अयोग्य पाते हुए नियुक्त न करने के निर्णय को मनमाना या अवैध नहीं कहा जा सकता है। मेरी वैचारिक राय में, याचिकाकर्ता को कांस्टेबल (दूरसंचार) के पद के लिए अनुपयुक्त पाए जाने के आधार पर उसकी उम्मीदवारी को खारिज करने के उत्तरवादी क्र. 2 के आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है, जो पूर्ण रूप से विधि अनुसार है। मैंने इस रिट याचिका में कोई गुण नहीं पाया है।

13. तदनुसार, रिट याचिका निरस्त किये जाने योग्य होने से एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और पक्षकार अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

एस.डी./-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur